न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1,बरेली।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0–479/2026.

सी0एन0आर0नम्बर यू0पी0बी0आर0.01.002049–2026

पवन शर्मा पुत्र श्री जयप्रकाश शर्मा निवासी पीतल बस्ती थाना कटघर,जिला मुरादाबाद।

..... प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ———— अभियोजन पक्ष।

दिनांकः 07.03.2026

आवेदक/अभियुक्त **पवन शर्मा** की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 237 सन् 2019, अन्तर्गत धारा 420, 409, 504, 506 भा0दं0सं0, थाना प्रेमनगर, जिला बरेली के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र चन्दना शर्मा के शपथ पत्र से समर्थित है।

अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 20.01.2026 को खारिज किया जा चुका है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को को सुना गया। पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में संक्षेप में अभियोजन केस के अनुसार वादी मुकदमा यासीन मोहम्मद व मूलचन्द, कामिल रजा, बाबू, कृष्णपाल, शहंशाह अब्बास, शमशुल हसन, आसिफ अली, मुश्ताक अहमद, योगराज, कन्यावती, पुष्पा व नरेश चन्द्र द्वारा दिनांक 28.06.2019 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को इस आशय की तहरीरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि प्रस्टीज इन्फ्रा डेवलपर्स इण्डिया लिमिटेड जिसके परिवर्तित नाम व प्रेस्टीजियस सहकारी आवासीय समिति लिमिटेड व प्रतिष्ठा प्रोज्यूसर कम्पनी लिमिटेड स्थित 43, इन्दिरा सहकारी आवासीय समिति जिला मुरादाबाद ने जनपद बरेली में फस्ट फ्लोर चौधरी काम्पलेक्स अपोजिट कृष्णलीला काम्पलेक्स थाना प्रेमनगर में अपना ब्रांच आफिस खोला था, जिसके मालिक डायरेक्टर राजीव कुमार शर्मा पुत्र नत्थू लाल शर्मा निवासी म0नं0–142, टीडी0आई0 सिटी रामगंगा बिहार थाना सिविल लाइन्स जिला मुरादाबाद तथा श्रीमती चंदना शर्मा पत्नी राजीव शर्मा निवासी प्रतिष्ठा डेयरी विलरा रामपुर थाना कटघर रामपुर रोड़ जिला मुरादाबाद व पवन शर्मा व संजीव शर्मा पुत्र नामालूम निवासीगण गली नं0–4, वार्ड नं0–45, पीतल नगरी कालोनी थाना सिविल लाइन्स जिला मुरादाबाद व राजेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप चन्द निवासी ए–2, 38 काशीराम कालोनी थाना मंगोली मोबाइल नं0 897964421 जिला मुरादाबाद ने वादीगण को यह विश्वास दिलाते हुए कि उनकी उपरोक्त कम्पनी भारतीय कानून द्वारा एक वैध कम्पनी है और कम्पनी का एक करोड़ रूपया भारत सरकार के पास जमा है और कम्पनी के नाम करोड़ों रूपया जमा है और कम्पनी को रिजर्व बैंक में पंजीकृत बताया और बताया कि हमारी कम्पनी एफ0डी0, आर0डी0, एन0आई0एस0 व प्लाटिंग करती है, अपना भरोसा दिलाकर उपरोक्त लोगों ने वादीगण से अपना व परिवारीजन व रिश्तेदारों का करीब पॉच करोड़ रूपया वर्ष 2010 से जनवरी 2018 तक अपनी उक्त कम्पनी में जमा करा लिया, जमा धनराशि की वापसी की समयावधि 01 वर्ष से 10 वर्ष तक की निश्चित की गयी थी, जिसमें जमा ध ान की वापसी अवधि अनुसार दो गुना से लेकर 4 गुना तक का आश्वासन दिया था। उक्त अवधि पूरी होने पर वादीगण ने अपनी जमा रकम शर्तानुसार वापस लेने की मांग की तो बरेली की स्थानीय ब्रांच अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा लगातार टालमटोल करते रहे, जिससे वादीगण को अपनी रकम की वापसी की शंका पैदा होने लगी। वादीगण ने उक्त कम्पनी की वैधता व उसके द्वारा दिखाये गये दस्तावेज के बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि उक्त लोगों द्वारा कूटरचना से दस्तावेज तैयार किये गये और कूटरचित दस्तावेज दिखाकर रूपया जमा करवाया गया था। वादीगण ने जब उक्त लोगों से इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से करने को कहा तो उक्त लोगों ने अपने ब्राचं कार्यालय स्थित बरेली में वादीगण को गंदी गंदी गालियां व जान से मारने की धमकी दी और कहा कि तुम लोगों का पैसा एक साल बाद मिलेगा अभी हमारे पास नहीं है। इसके बाद वादीगण कई बार उक्त कार्यालय गये तो पता चला उक्त कम्पनी

रातों–रात अपना सामान समेटकर भाग गयी है। उक्त कम्पनी द्वारा वादीगण के साथ धोखाधड़ी कारित की गयी है। वादीगण की रकम न देकर अमानत में ख्यानत की गयी है। वादीगण ने उक्त घटना की शिकायत थाना प्रेमनगर में की, परन्तु उक्त शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तदोपरांत वादी मुकद्मा द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के आदेश पर दिनांक 30.06.2019 को समय 16.26 बजे थाना प्रेमनगर, जिला बरेली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–0237/2019 अन्तर्गत धारा 420, 406, 504, 506 भा0दं0सं0 अभियुक्त/आवेदक पवन शर्मा व सह अभियुक्तगण राजीव कुमार शर्मा डायरेक्टर, श्रीमती चंदना शर्मा, संजीव शर्मा व राजेन्द्र कुमार के विरूद्ध पंजीकृत की गयी। अभियोजन केस के अनुसार मामले में दौरान विवेचना धारा 406 भा0दं0सं0 का लोप किया गया तथा धारा 409 भा0दं0सं0 की बढोत्तरी की गयी है तथा विवेचना उपरांत सह अभियुक्त राजेन्द्र कुमार के विरूद्ध मूल आरोप पत्र सं0 91/2020 धारा 420, 409, 504, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत तथा सह अभियुक्ता श्रीमती चंदना शर्मा के विरूद्ध पूरक आरोप पत्र सं0–91ए/2020 धारा 420, 409, 504, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत व सह अभियुक्त राजीव कुमार के विरूद्ध पूरक आरोप पत्र सं0–91बी/2020 धारा 420, 409, 504, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत सम्बंधित न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है तथा सह अभियुक्त पवन शर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 91डी/2020 धारा 420, 409, 504, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत सम्बंधित न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिया जा चुका है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बल देते हुये कहा गया है कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त का यह द्वितीय नियमित जमानत प्रार्थना पत्र है। पूर्व में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.01.2026 को अभियुक्त के अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया गया है तथा इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त का माननीय न्यायालय व उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल नहीं किया गया है, न ही लम्बित है और न ही खारिज हुआ है। अभियुक्त को सम्बन्धित थाना प्रेमनगर बरेली की पुलिस रास्ते से उठाकर लायी और दिनांक 09.12.2025 को उसका चालान कर दिया तब से वह जिला कारागार बरेली में निरूद्ध है। धारा 406, 420, 504 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी बाद में कथित धाराओं की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 406 भा0दं0सं0 विलुप्त करते हुए धारा 409 भा0दं0सं0 की वृद्धि की गयी तथा इस प्रकार से धारा 409, 420, 504, 506 भा0दं0सं0 में उसका न्यायिक रिमाण्ड लिया गया है। अभियुक्त कम्पनी का डायरेक्टर नहीं है, न ही उसके द्वारा कोई रूपया प्राप्त किया गया, न ही उसके खाते में किसी जमाकर्ता का कोई रूपया आया। उसके द्वारा कोई अमानत में ख्यानत नहीं की गयी है और न ही कोई गबन किया गया है न ही वह वैर्कर है,न ही लोक सेवक है, उसके द्वारा कोई भी अपराधिक न्यास भंग नहीं किया गया, न ही किसी को गाली गलौच किया, न ही जान से मारने की धमकी दी। पूरा मामला फर्जी बनाते हुए उसका नाम शामिल किया गया है। जबकि अभियुक्त निर्दोष है। वह मात्र अभियुक्त राजीव कुमार शर्मा का वाहन चालक था राजेन्द्र कुमार व व राजीव कुमार शर्मा द्वारा कम्पनी का संचालन किया जाता था। कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट पांच अभियुक्तगण के विरुद्ध लिखायी गयी जिसमें राजीव शर्मा को डायरेक्टर व अन्य में श्रीमती चंदना शर्मा, संजीव शर्मा, राजेन्द्र कुमार है जबकि उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट के क्रम सं0 3 में अंकित किया गया है। कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट के वादी 13 लोग है उन्होने कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया कि उन्होने कितना रुपया व कब दिया, न ही उसके द्वारा कोई रूपया इन लोगों से प्राप्त किया गया। कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं है कि वादीगण 1 लगायत 13 ने किस तिथि को अपना रूपया जमा किया और किस तिथि को मैच्युर हुआ और किसने अपना रूपया कब मांगा और क्या कागजात इन्होने लिये इसका भी कोई उल्लेख नहीं है, किस तरह की एफ0डी0 जारी की गयी इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादीगण 1 लगायत 13 किस तिथि को स्थानीय ब्रान्च कार्यालय पहुंचे, किसने टालमटोल किया इसका भी कोई उल्लेख नहीं है कौन से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर रूपया प्राप्त किया गया है इसका भी कोई उल्लेख नहीं है, बरेली में ब्रान्च कार्यालय किस स्थान पर है इसका भी कोई उल्लेख नहीं है, कब कम्पनी रूपये लेकर भागी इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। अभियुक्त वादीगण से कहां मिला और कहां गालियां दी इसका भी उल्लेख नहीं है। उसने न तो गालियां दी, न जान से मारने की धमकी दी, न ही वादीगण उसे मिले, न ही वह कम्पनी में था, न ही उसके द्वारा कम्पनी भगायी गयी है। अभियुक्त कभी भी

कथित वादीगण से नहीं मिला, न ही आश्वासन दिया गया, न ही एफ0डी0 दी गयी, न ही किसी एफ0डी0 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर है, पूरा मामला फर्जी बनाकर उसको शामिल गया है। अभियुक्त द्वारा किसी को गुमराह नहीं किया गया, न ही उसका किसी कम्पनी से कोई वास्ता है। वह मात्र ड्राईवर की हैसियत से था। कथित धाराओं का कोई मामला उसके विरूद्ध नहीं बनता है, न ही कोई चश्मदीद साक्षी है। कोई भी मामला फौजदारी का नही है बल्कि सिविल प्रकृति का है। प्रस्तुत मामलें के सह अभियुक्तगण श्रीमती चंदना शर्मा का जमानत तथा राजीव कुमार शर्मा की नियमित जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्वीकार हो चुकी है। अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त मामले में सम्पूर्ण विवेचना पूर्व में हो चुकी है तथा तीन लोगो के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में आ चुका है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है तथा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है। अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सहकारी इण्डिया लिमिटेड कंपनी बनायी जिसमें लोगो का पैसा लगवाया तथा उसके पश्चात अचानक कंपनी बंद करके फरार हो गये। यह भी कहा गया है कि प्रस्तुत मामले के अन्य सह अभियुक्त राजीव कुमार शर्मा की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 28.04.2023 को निरस्त की जा चुकी है। अतः अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क तथा अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त/आवेदक द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों की छल व कपटपूर्वक रचना करके वादीगण को दिखकर अपनी उक्त कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकृत होने एवं भारत सरकार में उसका एक करोड़ों रूपया जमा होने का भरोसा दिलाते हुये धोखाधड़ी से बेईमानीपूर्वक वादीगण/पीड़ितों का करोड़ों रूपया निवेशित करा लिया और प्रस्तावित समयावधि 1 से 10 वर्ष पूरे होने पर जब वादीगण/पीड़ितों द्वारा अपना धन वापस मांगा गया तो अभियुक्त/आवेदक व सह अभियुक्तगण द्वारा टालमटोल की गयी वादीगण/पीड़ितों द्वारा कम्पनी के दस्तावेज चेक करने पर फर्जी पाये जाने पर पुलिस प्रशासन में शिकायत करने पर अभियुक्त/आवेदक व सह अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी गयी तथा कम्पनी बंद करके अपना सामान समेट कर रातों–रात चम्पत हो गये। इस प्रकार अभियुक्त/आवेदक पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर छल कारित करते हुए वादीगण/पीड़ितों की उक्त कम्पनी में जमा करायी गयी करोड़ों रूपये की धनराशि का गबन करने व वापस मांगने पर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने का अभियोग है। अभियुक्त/आवेदक द्वारा कारित अपराध आर्थिक व सामाजिक अपराध है। प्रस्तुत मामले के अन्य सह अभियुक्त राजीव कुमार शर्मा की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 28.04.2023 को निरस्त की जा चुकी है। अभियुक्त/आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता, अभियुक्त के उक्त आपराधिक कृत्य में संलिप्तता, अपराध की प्रकृति आदि समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं पाता है। तदनुसार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **पवन शर्मा** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 237 सन् 2019, अन्तर्गत धारा 420, 409, 504, 506 भा0दं0सं0, थाना प्रेमनगर, जिला बरेली के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(कुमारी अफशॉं)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या–1,
जनपद बरेली।
जे0ओ0 को[illegible] 6164.

दिनांकः 07.03.2026

Digitally signed by AFSHAN
Date: 2026.03.07 16:18:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court